

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक- 891

/भागलपुर, दिनांक 22/6/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

Chandramaleshwar Singh

विषय :- MR-3054 योजनान्तर्गत Nathnagar To Radhanagar (Part-B) पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गुणवत्तापूर्ण पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अंदर पूर्ण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना शीर्ष MR-3054 के अधीन Nathnagar To Radhanagar (Part-B) तक पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के बाद पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य भी करना एकरारित है।

अतः एकरारनामा के प्रावधान एवं मानक के अनुरूप तीन दिनों के अंदर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता या असमर्थता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आपके एकरारनामा को विखंडित करने एवं अग्रघन तथा SD, PSD की राशि जब्त करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही विभागीय तौर पर Maintenance कार्य कराने की कार्रवाई की जायेगी और कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्य में होने वाले व्यय की राशि भी आपसे वसूल की जायेगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर।